

## प्रेसनोट दिनांक 05.09.2023

1. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राजेश चन्द्र पाल थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शुभम यादव पुत्र ओम प्रकाश नि0 अंजनीपुरम थाना को0नगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 581/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश कुमार पाल पुत्र साहब शरण नि0 अकमा थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 582/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मुकेश कुमार कनौजिया पुत्र स्व0 राम अभिलाख नि0 फतेहपुर थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 318/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 04.09.23 को वादी आरक्षी श्री श्याम बिहारी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकमल निषाद पुत्र स्व0 राज किशन नि0 गुप्तार घाट थाना कैण्ट अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 320/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री बृजभूषण पाठक थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिलीप पुत्र छोटेलाल नि0 औद्योगिक नगर थाना खलिलाबाद संतकबीरनगर गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 502/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप कुमार पुत्र शेषनाथ नि0 काशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 503/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना को0अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विनय कुमार पुत्र परशुराम नि0 टकपुरा थाना को0अयोध्या अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 504/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इश्वरदीन पुत्र भगवानदीन नि0 महावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 438/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री आदर्श सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि याम कुमार पुत्र अगलू नि0 माधवपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 439/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जवाहर पाल थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सतीश कुमार पुत्र तुलसीराम नि0 आनापुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10

लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 237/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र यादव थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नीलू यादव पुत्र छड़ले नि0 मया थाना महाराजगंज अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 266/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 04.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री बालेन्द्र प्रताप सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामबरन पुत्र चैतु नि0 जगनपुर थाना रौनाही अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 439/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित मिश्रा पुत्र मदनलाल नि0 धन्नीपुर थाना रौनाही अयोध्या। आदि 03 नफर सभी गिर0 अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 790 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 441/23 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रवीश कुमार यादव थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि टेड़ी पुत्र चैतु नि0 ठेकुआ भारी थाना रौनाही अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 442/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जयकिशोर अवस्थी थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सौरभ निषाद पुत्र बाबूराम निषाद नि0 भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 440/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री जयकिशोर अवस्थी थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गौतम निषाद पुत्र बाबूराम नि0 भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 441/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ज्ञानदीप पुत्र रामखेलावन नि0 बालापुर थाना तारुन अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 237/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजबचन पुत्र मोतीलाल नि0 मितनपुर थाना तारुन अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 238/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सन्तराम पुत्र स्व0 पहाड़ी नि0 पलिया प्रतापशाह थाना इनायतनगर अयोध्या |गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 384/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सद्दाम पुत्र सईद नि0 मेहरौना थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 385/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि फुलचन्द पुत्र रामकरन नि0 तुलापुर थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 386/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री शंकरलाल थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सनोज पुत्र हेमराज नि0 तिवारी का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 160/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 04.09.23 को वादी आरक्षी श्री धर्मेन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गहनागदीन पुत्र सियाराम नि0 अमवासुखी थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 181/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 04.09.23 को वादी मु0आरक्षी श्री उमेश कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गयादीन पुत्र छविलाल नि0 सेमरी का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 182/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गया प्रसाद पुत्र ननकरु नि0 रामपुर गौहनिया थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 183/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवचरन रावत पुत्र रामदयाल नि0 बनगवा थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 438/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 अलीम पुत्र दिलशेर नि0 कादिरपुर थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर सभी गिर0 अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 1360 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 440/23 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

28. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश पुत्र आशाराम नि0 विचाला थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 442/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

29. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम पुत्र गोपी नि0 बारी थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची

शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 444/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

30. दिनांक 04.09.23 को वादी आरक्षी श्री रत्नेश कुमार थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुमित रावत पुत्र छविलाल नि0 दुल्लापुर थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 129/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

31. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बाबा बाजार अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भगोले पुत्र हनुमान नि0 चन्द्रामऊ थाना बाबा बाजार अयोध्या। गिर अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना बाबा बाजार में मु0अ0सं0 113/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश रावत पुत्र बजरंगबली नि0 मदारपुर थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 198/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 04.09.23 को वादी उ0नि0 श्री रामकरन प्रसाद थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 नासिर पुत्र इब्राहिम नि0 कोपेपुर थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 199/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।